छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
।। मंत्रालय।।
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

क्रमांक **GENS-11/5538/2026-SAMAGRA SHIKSHA SECTION** दिनांक 12-06-2026

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   छत्तीसगढ़
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   छत्तीसगढ़

विषय:- विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन के संबंध में।

--00--

विषयांतर्गत दिनांक 06 मई, 2026 को भारत सरकार द्वारा जारी **"Guideline for SMCs-2026"** के अनुक्रम में विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) की नई दिशा-निर्देश जारी की जा रही है। विद्यालय प्रबंधन समिति में प्रारंभिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 12वीं तक) तक शामिल होगी और इसे विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति (SMDC)की जगह लागू किया जाएगा।

विद्यालय प्रबंधन समिति -

विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यार्थियों के अभिभावक/संरक्षक, स्थानीय प्राधिकरण का प्रतिनिधि, शिक्षाविद्, विषय विशेषज्ञ, विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी और वंचित समूहों के प्रतिनिधि इत्यादि शामिल होंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति में सदस्यों की संख्या बच्चों के नामांकन के आधार पर निर्धारित की जाएगी-

नामांकन सीमा	सदस्यों की अनुमानित संख्या
अधिकतम 100 विद्यार्थी	12–15 सदस्य
100–500 विद्यार्थी	15–20 सदस्य
500 से अधिक विद्यार्थी	20–25 सदस्य

(1) विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों के चयन के मापदंड-

1.SMC की कुल सदस्य संख्या का 75 प्रतिशत बच्चों के अभिभावक या संरक्षक में से होना चाहिए।

2. शेष 25 प्रतिशत सदस्य निम्नलिखित व्यक्तियों में से चुने जाएंगे-

(क) एक तिहाई सदस्य स्थानीय प्राधिकरण (नगर निगम/नगर परिषद/जिला परिषद्/नगर पंचायत/पंचायत) के निर्वाचित सदस्यों में से, जिन्हें स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चुना जाएगा।

(ख) एक तिहाई सदस्य विद्यालय के शिक्षकों में से, जिन्हें विद्यालय के शिक्षकों द्वारा चुना जाएगा।

(ग) शेष एक तिहाई सदस्य स्थानीय शिक्षाविद्, विषय विशेषज्ञ, अकादमिक, वरिष्ठ एवं पूर्व विद्यार्थी समुदाय के अग्रिम कार्यकर्ता जैसे- आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता और सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) जो विद्यालय के आसपास कार्यरत हो- में से चुने जाएंगे।

इन सदस्यों का चयन समिति के अभिभावक प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा।
प्रत्येक विद्यालय में शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत के एक महीने के भीतर विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करना अनिवार्य होगा। विद्यालय प्रबंधन समिति में कुल सदस्य संख्या का 50 प्रतिशत महिला सदस्य होना अनिवार्य है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEDGs)जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आदि तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के अभिभावकों/संरक्षकों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना होगा। एस.एम.सी. के गठन के पश्चात नई समिति की पहली बैठक अगले कार्यदिवस या अधिकतम एक सप्ताह के भीतर आयोजित की जा सकती है। पहली बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जावेगा।
(2) विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना:- विद्यालय प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे-

1.	माता–पिता/अभिभावक (निर्वाचित सदस्य)	अध्यक्ष
2.	माता–पिता/अभिभावक (निर्वाचित सदस्य)	उपाध्यक्ष
3.	विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावक	सदस्य
4.	स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित सदस्य	सदस्य
5.	विद्यालय के शिक्षक	सदस्य
6.	स्थानीय शिक्षा विशेषज्ञ/विषय विशेषज्ञ/शैक्षणिक विशेषज्ञ/विद्यालय के विद्यार्थी एवं पूर्व विद्यार्थी/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता (AWW) /मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHA) /सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM)	सदस्य
7.	प्राचार्य/प्रधानपाठक/विद्यालय प्रभारी	सदस्य सचिव

(3) बैठक:- विद्यालय के प्रभावी संचालन हेतु नियमित बैठक अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक आयोजित किया जाना है। किसी भी निर्णय की वैधता के लिए समिति के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति (कोरम) आवश्यक होगी। सभी बैठकों की कार्यवाही विवरण का समुचित अभिलेखन किया जाएगा, जिसे समिति के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय के सूचना पटल पर अथवा उपलब्ध होने पर डिजिटल माध्यम से सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है।
(4) कार्यकाल:- विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। समिति कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी तब तक जारी रह सकती है जब तक नई समिति का गठन नहीं हो जाता। नई समिति के गठन की प्रक्रिया समिति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले आरंभ करना उपयुक्त होगा। किसी भी सदस्य को एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन एक सदस्य लगातार दो कार्यकाल से अधिक कार्य नहीं कर सकता, सिवाय सदस्य सचिव के।

(a) एसएमसी सदस्य का कार्यकाल निम्न परिस्थितियों में समाप्त किया जाएगा-

- यदि अभिभावक/संरक्षक सदस्य के बच्चे ने विद्यालय छोड़ दिया।
- किसी सदस्य का किसी आपराधिक आरोप या अन्य कारण से दोषसिद्धि/सजा होना।
- सदस्य का ब्लॉक/जिले से प्रवासन।
- सदस्य का आकस्मिक निधन।
- यदि कोई सदस्य लगातार चार बैठकों में बिना सूचना अनुपस्थित रहता है।

उपरोक्त (a) में उल्लेखित किसी भी कारण से उत्पन्न अंतरिम रिक्त स्थान को लागू करने वाले प्राधिकारी/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा।

(5) विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका एवं कार्य:- विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय संचालन की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका एवं कार्य:-

1. सभी विद्यार्थियों के लिए नामांकन, निरंतर उपस्थिति और समावेशी शिक्षण अवसर सुनिश्चित करना।
2. ड्रॉप आउट और विद्यालय से बाहर बच्चों (OoSC)को मुख्यधारा में लाने के लिए नामांकन अभियान।
3. विद्यार्थी के अधिकारों का समय पर वितरण सुनिश्चित करना।
4. अभिभावक शिक्षक बैठक (PTM) में सहयोग।
5. शैक्षणिक योजना एवं समर्थन।
6. आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (FLN) लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग।
7. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM POSHAN) एवं स्वास्थ्य पहल।
8. सामुदायिक सहभागिता एवं संसाधन संकलन।
9. विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण एंव कल्याण सुनिश्चित करना।
10. विद्यालय द्वारा तीन वर्षीय विद्यालय विकास योजना (SDP) तैयार किया जाना होगा।
11. शाला अनुदान की राशि से प्राथमिकता देते हुए यह सुनिश्चित किया जावे कि शालाओं में निर्धारित तय सीमा अनुसार ध्वनि विस्तारण यंत्र के साथ प्रार्थना एवं अन्य सामुहिक गतिविधियां संचालित हो।
12. शाला अनुदान की राशि से शौचालय को क्रियाशील बनाया जाना सुनिश्चित करें एवं शाला में विशेषतः विद्युत, पंखा एवं लाईट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(6) निर्माण/मरम्मत संबंधी वित्तीय प्रबंधन एवं सामाजिक लेखा परीक्षण:-
1. वित्तीय सीमा एवं निष्पादन- राज्य में राशि रू. 01 लाख तक की लागत वाले सभी निर्माण/मरम्मत कार्य अन्य एजेंसी के अलावा विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा निष्पादित किए जा सकेंगे। इस प्रक्रिया में पारदर्शी योजना निर्माण, क्रय (Procurement) एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए सदस्य सचिव द्वारा लेखा अभिलेख संधारित किए जाएंगे।
2. भंडार क्रय नियमों का पालन- विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा बजट उपलब्धता के अनुसार विद्यालय के संचालन हेतु तात्कालिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सामग्री का क्रय, छ.ग. भंडार क्रय नियमों एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विहित निर्देशों/नियमों का पालन करते हुए किया जावेगा।
3. निर्माण/मरम्मत कार्यों की प्रकृति- राशि रू. 01 लाख तक के लागत वाले निर्माण/मरम्मत कार्य जैसे-बालक/बालिका शौचालय निर्माण/मरम्मत, लघु मरम्मत, पेयजल, रैंप, बिजली कार्य (आंतरिक एवं बाह्य) आदि विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा भी किए जा सकेंगे।
4. निर्माण/मरम्मत संबंधी कार्य- विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा निर्माण/मरम्मत संबंधी कार्य में निम्नानुसार शर्तों का पालन करना सुनिश्चित किया जावेगा-

- निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु SRLM (राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन) से प्रशिक्षित मिस्त्री/प्लंबर/इलेक्ट्रिशियन/टाईल्स फीटर/श्रम विभाग से पंजीकृत कुशल श्रमिक/व्यावसायिक शिक्षण पाठ्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षित/छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित व्यक्ति को प्राथमिकता देवें।
- तकनीकी मूल्यांकन- कार्यो को मूल्यांकन ग्राम पंचायत के उपयंत्री/जी-राम-जी योजना के तकनीकी सहायक/ RES के अभियंता या जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित शासकीय अभियंता से कराया जा सकेगा।
- भुगतान की प्रक्रिया- कार्यों का नियमानुसार मूल्यांकन उपरांत ही देयकों का अंतिम भुगतान किया जा सकेगा।
- दर निर्धारण- राज्य एवं जिला स्तर के विभिन्न निर्माण एजेंसी द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम मूल्य दर (SOR) पर कार्य कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5. राशि रू. 01 लाख से अधिक राशि वाले अन्य निर्माण/मरम्मत कार्यों के लिए पूर्वानुसार व्यवस्था राज्य एवं जिले से यथावत् रहेगी।
6. निर्माण/मरम्मत संबंधी अन्य दिशा-निर्देश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों के अनुरूप रहेंगे। नियमों में त्रुटि एवं वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
7. मॉनिटरिंग समिति- उक्त निर्माण/मरम्मत कार्य के सुचारू संपादन, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता नियंत्रण हेतु निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया जावेगा, समिति द्वारा कार्य की निरंतर मॉनिटरिंग की जावे एवं यथा आवश्यक कार्यवाही करते हुए नियमों का परिपालन एवं कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जावे।

- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला मॉनिटरिंग समिति- अध्यक्ष-जिला कलेक्टर, सदस्य-1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत/जनपद पंचायत), 2. जिला शिक्षा अधिकारी, 3. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा-कार्यपालन यंत्री/संबंधित तकनीकी विभाग, 4. जिला मिशन समन्वयक।

- शहरी क्षेत्रों के लिए जिला मॉनिटरिंग समिति- अध्यक्ष-जिला कलेक्टर, सदस्य-1. आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी (नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत), 2. जिला शिक्षा अधिकारी, 3. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा-कार्यपालन यंत्री/संबंधित तकनीकी विभाग, 4. जिला मिशन समन्वयक।

अतः उक्त दिशा-निर्देशों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर उनका शत-प्रतिशत पालन कराते हुए विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रभावी गठन, नियमित बैठक, विद्यालय विकास योजना (SDP) निर्माण एवं समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित किया जाए।

Digitally signed by
Kamal Preet Singh
Date: 12-06-2026
15:05:23

(कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0क्र0 GENS-11/5538/2026-SAMAGRA SHIKSHA SECTION दिनांक 12-06-2026
प्रतिलिपि-
1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
2. आयुक्त, राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, पेंशनबाड़ा, रायपुर छ.ग.
3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
4. संचालक, राज्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद, शंकर नगर, रायपुर छ.ग.
5. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़
6. जिला मिशन समन्वयक, जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, समस्त जिला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग